



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

No. 167]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2010/चैत्र 11, 1932

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2010/CHAITRA 11, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2010

सा.का.नि. 281(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नाफ्था (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 में आगे संशोधन करते हुए निम्न आदेश देती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को नाफ्था (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2010 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. नाफ्था (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 में खंड 3 के परन्तु में मद (xix) के बाद निम्नलिखित मद अन्तर्विष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

“(xx) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड”

[फा. सं. पी-11013/13/2007-वितरण]

अपूर्व चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश दिनांक 5 जून, 2000 के सा.का.नि. 518(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया और बाद में सा.का.नि. 577(अ), दिनांक 30 जून, 2000, सा.का.नि. 579(अ), दिनांक 30 जून, 2000, सा.का.नि. 594(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2006 और सा.का.नि. 381(अ) दिनांक 29 मई, 2009 के द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 26th March, 2010

G.S.R. 281(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobile) Order, 2000, namely :—

1. (1) This Order may be called the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobile) Amendment Order, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobile) Order, 2000, in clause 3, in the proviso, after item (xix), the following item shall be inserted, namely :—

“(xx) Reliance Industries Limited”

[F. No. P-11013/13/2007-Dist.]

APURVA CHANDRA, Jt. Secy.

Note.—The principal Order was published vide number G.S.R. 518(E), dated 5th June, 2000 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 577 (E), dated 30th June, 2000, G.S.R. 579(E), dated 30th June, 2000, G.S.R. 594(E), dated 25th September, 2006 and G.S.R. 381(E), dated 29th May, 2009.